शहरी निकाय पर होगा दो बच्चे वालों का कब्जा !

पटना | अतुल उपाध्याय

बिहार में नगर पालिकाओं पर अब दो बच्चे वाले पार्षदों का कब्जा होगा ! अगले साल अप्रैल-मई में नगरपालिका के चुनाव कराए जाएंगे और दो से अधिक जीवित संतानों वाले माता-पिता के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। ऐसे में अब यह संभावना जताई जा रही है कि नगर पालिकाओं के चुनाव में दो बच्चे वाले पार्षदों की संख्या बढ़ेगी।

दरअसल जनसंख्या नियंत्रण को ध्यान में रखकर शहरी निकायों के चुनाव के लिए राज्य सरकार ने बाकायदा एक्ट बना दिया है। इसके तहत एक्ट के प्रभावी होने के बाद जिनके घर तीसरे बच्चे का जन्म हुआ है वैसे माता-पिता चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वर्ष 2007 में नगर विकास विभाग ने यह एक्ट बनाया था। साथ ही इस अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए छूट भी दी गई थी। यानी वर्ष 2008 के बाद से यह नियम प्रभावी है और इसके बाद शहरी निकायों के रिक्त पदों पर हुए उप चुनाव में भी इस नियम को लागू किया जाता रहा है। लेकिन एक्ट प्रभावी होने के बाद पहली बार वर्ष 2012 में नगरपालिकाओं का आम निर्वाचन होगा। पंचायत चुनाव में इस नियम के लागू नहीं रहने के बावजूद जिस तरह से नए और युवा चेहरे जीतकर सामने आए हैं उसको देखते हुए शहरी निकायों में भी इस ट्रेंड की उम्मीद की जा रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार एक्ट के लागू होने के दिन से या उसके लागू होने के एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक अगर किसी व्यक्ति को दो से अधिक संतानें हैं तो उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। यानी एक्ट बनने और उसके प्रभावी होने के पहले जिनकी दो से अधिक जीवित संतानें हैं वे भी चुनाव लड़ पाएंगे। हां वैसे लोगों की छुट्टी जरूर हो जाएगी जो पार्षद हैं और एक्ट के प्रभावी होने के बाद उनके घर नए बच्चे का जन्म हुआ हो। इतना ही नहीं अगर ऐसा कोई अभ्यर्थी चुनाव जीत भी जाता है तो बाद में इस अधिनियम के तहत आयोग उसे अयोग्य करार दे सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस अधिनियम का जबरदस्त लाभ होगा।

नगरपालिका चुनाव

- वर्ष 2012 के अप्रैल-मई में होगा चुनाव, एक्ट लागू होने के बाद पहली बार होगा आम चुनाव
- दो से अधिक बच्चे वालों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने की तैयारी

हिन्दुस्तान

नया नजरिया

जनता के लिए बनेंगे नजीर

इस नियम के लागू होने से लोगों का रुझान परिवार नियोजन की तरफ बढ़ेगा। खासकर राजनीति के क्षेत्र में आने वाले युवाओं के लिए जो शहरी निकायों का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके लिए तो परिवार नियोजन अनिवार्य होगा।

यही पार्षद आगे चलकर विधायक और सांसद भी बन सकते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि क्षेत्र की जनता के लिए भी नजीर बनेंगे। इससे जनसंख्या नियंत्रण में भी मदद मिलेगी।